

05.09.2026

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पेश हुआ। पुकार कराई गयी।
प्रार्थी/अभियुक्त मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत
प्रार्थनापत्र पर बल नहीं दिये जाने का कथन किया गया तथा इसी
आशय का आदेश पत्र के हाशिये पर अंकन किया गया।

चूंकि प्रार्थी/अभियुक्त अपने अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर बल
नहीं देना चाहते हैं। अतः प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र बल न देने
के कारण निरस्त किया जाता है।

सत्र न्यायाधीश,
सहारनपुर।